

जल संरक्षण एवं संवर्धन

जल सभी जीव-जंतुओं की जीवन रेखा है। इस कथन का ऐतिहासिक सत्यापन प्राचीन मानव सभ्यताएं करती हैं। परन्तु यह निराशाजनक सत्य है कि पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग जल मनुष्य की पेयजल व घरेलू उपयोग संबंधी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। जिन ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई थीं सभी प्रदूषण की मार झेल रही हैं। नदियों का 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हो चुका है। सागरों का खारा पानी पीने योग्य नहीं है। नदियों की भांति प्राकृतिक झीलों में भी शहरों व औद्योगिक क्षेत्रों का कचरा बहाया जा रहा है। भूगर्भ जल जो कि सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है रसायनों व उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली व कानपुर जैसे ज्यादा आबादी और बड़े औद्योगिक शहरों में भूगर्भ जल से दुर्गंध आती है जो कि पेयजल (Potable water) के निगुण (स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन) का पालन नहीं कर रहा है।

जल ही जीवन है : पानी की हर बूंद अमूल्य है!

संपूर्ण जगत में जल का अद्वितीय महत्व है। जल का स्थान सजीवों के जीवन में वायु के समान है। हिन्दू धर्म शास्त्रों (Hindu Mythology) में पानी, मनुष्य की काया के आधार पंच तत्वों (आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पानी) में सम्मिलित है। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, जैसे कि - मिस्र की सभ्यता (Egypt Civilisations) जो कि संसार की सबसे पुरानी मानव सभ्यता मानी जाती है। वह संसार की सबसे बड़ी नदी 'नील नदी' के किनारे विकसित

हुई थी। अन्य सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर व चीनी सभ्यता हांगहो नदी के तट पर विकसित हुई थी।



नदियों का 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हो चुका है।

आज यदि हम नदियों, झीलों सहित जल संसाधनों के संकटों से आहत नहीं हैं तो साफ है कि कहीं-न-कहीं हम अपनी मानवीय संवेदनाएँ खो चुके हैं व अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं।

जल सभी जीव-जंतुओं की जीवन रेखा है। इस कथन का ऐतिहासिक सत्यापन प्राचीन मानव सभ्यताएँ करती हैं। परन्तु यह निराशाजनक सत्य है कि पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग जल मनुष्य की पेयजल व घरेलू उपयोग संबंधी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। जिन ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएँ विकसित हुई थीं सभी प्रदूषण की मार झेल रही हैं। नदियों का 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हो चुका है। सागरों का खारा पानी पीने योग्य नहीं है। नदियों की भाँति प्राकृतिक झीलों में भी शहरों व औद्योगिक क्षेत्रों का कचरा बहाया जा रहा है। भूगर्भ जल जो कि सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है रसायनों व उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली व कानपुर जैसे ज्यादा आबादी और बड़े औद्योगिक शहरों में भूगर्भ जल से दुर्गंध आती है जो कि पेयजल (Potable water) के त्रिगुण (स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन) का पालन नहीं कर रहा है।

बुदिलखंड जैसा क्षेत्र वर्षों से पानी की कमी की मार झेल रहा है। महिलाओं

को पीने का पानी लाने के लिए कोसों दूर पैदल जाना पड़ता है। वहाँ पर यह कहावत प्रचलित है : 'भड़िया न फूटे, चाहे खसम मरि जाए'

सूखी व बंजर जमीन होने के कारण उपज बहुत कम होती है और परिवार का ठीक से खर्च न चला पाने व महाजनों-सूदखोरों का कर्ज न अदा कर पाने के कारण सैकड़ों किसान आत्मदाह कर चुके हैं। इसी क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे खिसक गया है व जलमयों के खाली हो जाने के कारण वहाँ की जमीन धंस रही है। यह आपदा का संकेत है।

शहरों व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में झोपड़-पट्टी वाले इलाकों में सरकारी नलों से पानी भरने के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं और पानी भरने के लिए काफी लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं।

प्रशांतमहासागर के कई द्वीपों के लोगों को पीने व घरेलू उपयोग के लिए पानी डीजल-पेट्रोल की भाँति खरीदना पड़ता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भविष्य में कैसी-कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।



यह निराशाजनक सत्य है कि पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग जल मनुष्य की पेयजल व घरेलू उपयोग संबंधी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है।

गंगा-नदी का भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक व औद्योगिक रूप से बहुत महत्व है। लेकिन शहरों में पानी की अत्यधिक आपूर्ति व औद्योगिक, सीवर व घरेलू कचरे की नद्री में प्रवाहित करने से नदी तेजी से प्रदूषित हो रही है। इससे नदी के तट पर बसी बस्तियों में मच्छमारियों फैलती रहती हैं। कानपुर का जाजमऊ क्षेत्र जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, उसके लोग, बच्चे जलजनित बीमारियों के शिकार होते रहते हैं।

वर्तमान समय में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जैसे संयुक्त राष्ट्र (United Nations), विश्व बैंक (World Bank) और भारत सरकार (Government of India) कई बड़े कार्यक्रमों को आयोजित करके कार्यनीतियों व कानून बनाकर जल संरक्षण के लिये कदम उठा रही

हैं। विश्व जल दिवस, जल सप्ताह, जल वर्ष व जल दशक आदि समय-समय पर घोषित किये जाते हैं जिससे लोग जल संरक्षण के प्रति प्रेरित हो सकें। जल संरक्षण के लिए कई योजनाएँ भी चलाई जाती हैं।

विश्व जल दिवस (World Water Day)

ब्राजील के शहर रियो डि जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वर्ष 1992 में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development)' में '22 मार्च' को विश्व जल दिवस घोषित किया गया।

विश्व जल सप्ताह (World Water Week)

प्रतिवर्ष 5 सितम्बर से 11 सितम्बर तक विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। इसका आयोजन 'स्टॉकहोम अन्तर्राष्ट्रीय जल संस्थान (SIWI)' के तत्वाधान में होता है।

विश्व जल वर्ष (World Water Year)


संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 को 'अन्तर्राष्ट्रीय मृदु जल वर्ष (International Soft Water Year)' घोषित किया था।

विश्व जल दशक (World Water Decade)

- वर्ष 1981-90 की अवधि : वैश्विक जल संकट से निजात पाने के लिए

दिल्ली व कानपुर जैसे ज्यादा आबादी और बड़े औद्योगिक शहरों में भूगर्भ जल से दुर्गंध आती है।






शहरों के औद्योगिक व घरेलू कचरे को नालों के माध्यम से नदियों में बिना उपचार किए प्रवाहित किया जाता है। इससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं और नदी तट पर स्थित कोलायों में विभिन्न बीमारियाँ जन्म लेती हैं।



किसी भी नदी या झील को प्रदूषित करना संविधान का हनन करना है। टेनरी या फैंक्ट्री मालिक समय-समय पर अपने फायदे के लिए अधिकारों के अनुसार मांग तो करते हैं परन्तु अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते हैं।



जल सभी जीव-जंतुओं की जीवन रेखा है।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981-90 की अवधि को 'अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक (International Water Supply and Sanitation Decade)' मनाने की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य था कि दशक समाप्त होने तक संपूर्ण विश्व के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

• वर्ष 2005-15 की अवधि : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 2003 के अपने 58वें अधिवेशन में वर्ष 2005-15 की अवधि को 'अन्तर्राष्ट्रीय कार्य दशक : जीवन के लिए जल (International Decade for Action: Water for Life)' घोषित किया।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan) : गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण वर्ष 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यवाही समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत लागू किया गया है।

गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। विस्तृत

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 जिले शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिये कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। अभी तक 69 योजनाएँ इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अन्तर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है।

गंगा नदी सफाई प्राधिकरण (Ganga River Cleaning Authority) को विश्व बैंक ने गंगा नदी की सफाई के लिए अरबों डॉलर ऋण मुहैया कराया है। इसके अलावा अनेक स्वयं सेवक समूह भी इस कार्य में तन्मयता से लगे हैं।

आर्ट ऑफ लिविंग (Art of Living) के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में कुछ छात्रों और स्वयं सेवकों ने भी इस कार्य में प्रगति शुरू कर दी है।

नदी जल संरक्षण योजना को मद्देनजर रखते हुए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी (National River) घोषित किया गया है।

भारत के संविधान (Constitution of India) के भाग चार 'क' के अंतर्गत अनुच्छेद-51 'क' के मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) में यह प्रावधान है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि 'प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव

हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखें।' अतः किसी भी नदी या झील को प्रदूषित करना संविधान का हनन करना है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के कथनानुसार 'अपने अधिकारों की चाह रखने वालों पहले अपने कर्तव्यों का पालन करो।' इसका आशय है कि टेनरी या फैंक्ट्री मालिक समय-समय पर अपने फायदे के लिए अधिकारों के अनुसार मांग तो करते हैं परन्तु अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते हैं। वे नदियों में औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए हुए प्रवाहित करते हैं।

जल संरक्षण (Water Conservation) के लिए कुछ मौलिक सुझाव निम्नांकित हैं :

• 1. शहरों के औद्योगिक व घरेलू कचरे को नालों के माध्यम से नदियों में बिना उपचार किए प्रवाहित किया जाता है। इससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं और नदी तट पर स्थित वस्तियों में विभिन्न बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए नालों के पानी को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (Waste Water Treatment Plant 'WWTP') द्वारा उपचारित करके नदियों में प्रवाहित करना चाहिए। इस तरीके से उपचारित करने में दो फायदे होते हैं। पहला तो जल उपचारित होगा और दूसरा उससे प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग से विजली बनाने में सहायता मिलेगी।

• 2. वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल माना जाता है। विभिन्न विधियों से एकत्र करके घरेलू कार्यों हेतु उस जल

का उपयोग कर सकते हैं। छतों में बारिश के पानी को एकत्र करके सीधे घरों के नीचे बनी टंकियों में एकत्रित कर सकते हैं। वर्षा जल को एकत्रित करने की इस विधि को वर्षा जल संवयन (Rain Water Harvesting) कहते हैं। इस जल का उपयोग घरेलू कार्यों में कर सकते हैं अन्वया फिल्टर करके उसका उपयोग पीने के लिए कर सकते हैं।

• 3. वर्षा जल संग्रहण की एक अनुठी विधि राजस्थान के जैसलमेर और वाडमेर जैसे इलाकों में राजपूत काल से उपयोग में लाई जा रही है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी रहती है। परन्तु वहाँ पर वर्षा के जल को कृत्रिम तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। तालाब के तल पर पत्थरों को डाल दिया जाता है। ताकि पानी गंदा न हो। वहाँ लोग इतना जल एकत्रित कर लेते हैं कि अगर दो वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो भी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा तरीका जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए बरदान साबित हो सकता है।

• 4. ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल अधिकांशतः इधर-उधर बह जाता है। अगर वहाँ पर तालाबों को खोदकर उनकी तलहटी पर 'चारकोल, लकड़ी का कोयला व चूना' को डाल देते हैं और वहाँ पर वर्षा जल को एकत्र करते

हैं। ऐसे में जो जल रिसेपा वह फिल्टर होकर भूगर्भ पर जाएगा। चूंकि चारकोल, लकड़ी का कोयला व चूना प्राकृतिक फिल्टर का कार्य करते हैं। ऐसे में भूगर्भ जल के गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिल सकती है।

• 5. वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घरेलू उपयोग हेतु जल प्राप्त करने के लिए बोरिंग करवा रहे हैं। इस तरीके से भूगर्भ जल की अनुचित खपत होती है और लोग अनुचित उपयोग भी करते हैं। इससे भविष्य में जल की कमी का सामना करने के आसार प्रवल होते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की भाँति पानी की टंकियों का निर्माण किया जाए और उससे घरों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जाए तो ग्रामीणों द्वारा जल के होने वाले अनुचित दोहन को रोका जा सकता है क्योंकि सवमसिंबल पंप लगवाने में 40-50 हजार रूपए तक का खर्च आता है। परन्तु टंकी वाले पानी के उपयोग में अपेक्षाकृत बहुत कम खर्च आता है।

• 6. भारत में अधिकांश भागों में विशेष कर उत्तरी भारत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल या सवमसिंबल पंपसेटों का उपयोग किया जाता है। इससे सिंचाई में बहुत पानी खर्च होता है। अब किसान सिंचाई के लिए अत्याधुनिक तरीकों जैसे-ड्रिप सिस्टम व स्पिंकलर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इससे पानी

वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल माना जाता है। विभिन्न विधियों से एकत्र करके घरेलू कार्यों हेतु उस जल का उपयोग कर सकते हैं।



मीसम कितना प्यारा है।
सब कुछ नया बजारा है।

सूरज लदित हुआ पूरब में, भर देता है जीवन सब में,
वे आँखों का तारा है।

पक्षी चहक उठे कुछ कहकर, जागो तुम मी आलस तजकर
वे संदेशा हमारा है।

की खपत अपेक्षाकृत बहुत कम होती है।

ड्रिप सिस्टम व स्पिंकलर सिस्टम को स्थापित करना काफी खर्चीला होता है। जोकि छोटे व नध्यमवर्गीय किसानों के वश की बात नहीं है। अतः सरकार को इन तीर-तरीकों को अधिक प्रचलन में लाने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देनी चाहिए।


• 7. हाइड्रोजन गैस (H₂) का ऊष्मीय मान 150 जूल/ग्राम होता है जो कि अन्य ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल या डीजल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। यदि रैलगाड़ियों या अन्य वाहनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग हो तो कम ईंधन की खपत होगी व जब हाइड्रोजन गैस के कण उपयोग होने के बाद बाहर निकलेंगे तो वह ऑक्सीजन गैस (O₂) के साथ मिलकर जल (H₂O) बनाएंगे जिससे सड़कों व रेल की पटरियों के आसपास नमी आएगी व भूमि में अधिक जल का रिसाव होगा।

• 8. टेनरियों व कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे को नदियों में वहाया जाता है। चाहे जितने भी कानून

बना लिए जाएं परन्तु फैक्ट्रियाँ कचरे को उपचारित करके नहीं प्रवाहित करती हैं। अतः सरकार को फैक्ट्रियों को उत्पादन प्रमाण-पत्र देने से पूर्व इस बात को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि फैक्ट्री में 'अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र' को स्थापित किया गया है व वार्षिक रूप से उपचार संयंत्र का निरीक्षण भी करना चाहिए।

• 9. वर्तमान समय में देश भर में 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)' के तहत तालाबों की खुदाई करवाई जा रही है। इन तालाबों को पक्का करवाकर वर्षा जल को संग्रहित करना चाहिए। जिसका उपयोग कृषक लोग पशु-पालन व अन्य कई प्रयोजनों में कर सकें या फिर उन तालाबों में 'चारकोल, लकड़ी का कोयला व चूना' को डलवा देना चाहिये जिससे पानी आसानी से रिसकर भूगर्भ में चला जाए।

• 10. 'पर्यावरण का विप' कहलाने वाले यूकेलिप्टस वृक्ष का उपयोग हम अपना पर्यावरण बचाने व जल संरक्षण के लिये अमृत के रूप में कर सकते हैं। चूंकि यूकेलिप्टस वृक्ष अपशिष्ट जल को बहुत तेजी से अवशोषित करता है।



सभी व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

अतः इन वृक्षों को गंदे नालों व उपचार संयंत्र के आसपास रोपित करना चाहिए।


- 11. मनुष्य जीवन में गोजाना उपयोग में प्रयुक्त पॉलीथीन में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें नदियों में रहने वाले जीव जैसे-डॉल्फिन, घड़ियाल आदि का जीवन प्रभावित होता है। अतः सरकार को जल संरक्षण के साथ ही जैवविविधता (biodiversity) को बनाए रखने के लिए पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए।

- 12. अगर हर व्यक्ति नहाने के लिये शॉवर (Shower) का उपयोग करें तो पूरा बदन भिगोने के लिए ज्यादा से ज्यादा दो-तीन लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। जोकि बाल्टी-मग या टैप (Tap) के नीचे बैठकर नहाने की तुलना में बहुत कम पानी की खपत है।

- 13. सभी व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जल संरक्षण में अपना योगदान दें। अतः व्यक्ति एक सप्ताह में कम-से-कम एक दिन बिना साबुन का उपयोग किए नहाने की आदत डाले जिससे पानी का उपयोग कम होगा व पानी गंदा भी नहीं होगा।

- 14. लोग अपने घर के आसपास के मैदान या खाली पड़ी जमीन में किचन गार्डन लगाते हैं। इसके लिए लोग सिंचाई में शुद्ध जल का उपयोग करते हैं। किचन में जो सब्जी व खाद्यान्न धुलने में पानी उपयोग होता है उसका पुनः प्रयोग करके पानी का संरक्षित ढंग से उपयोग कर सकते हैं। चूँकि बगीचे के प्रत्येक गमले में यदि एक मग पानी डाला जाता है तो एक या दो बाल्टी शुद्ध पानी खर्च हो जाता है। लगभग इतना ही पानी किचन उपयोग या घरेलू सफाई के बाद बचता है। इसे डालकर हम जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं।

आज यदि हम नदियों, झीलों सहित जल संसाधनों के संकटों से आहत नहीं



किचन में जो सब्जी व खाद्यान्न धुलने में पानी उपयोग होता है उसका पुनः प्रयोग करके पानी का संरक्षित ढंग से उपयोग कर सकते हैं। चूँकि बगीचे के प्रत्येक गमले में यदि एक मग पानी डाला जाता है तो एक या दो बाल्टी शुद्ध पानी खर्च हो जाता है। लगभग इतना ही पानी किचन उपयोग या घरेलू सफाई के बाद बचता है।

हैं तो साफ है कि कहीं-न-कहीं हम अपनी मानवीय संवेदनाएँ खो चुके हैं व अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं।

'जल है हमारी भू संपदा जल ही बचाता जीवन सर्वदा। आपो वै सर्वदेवता।'

संपर्क करें :

शिवम् उत्तम

जवाहर नवोदय विद्यालय

सरसौल, कानपुर नगर 209402 (उ.प्र.)

[ई-मेल :

sruttam175996@gmail.com]

मौसम कितना प्यारा है

महेशदत्त उनियाल



मौसम कितना प्यारा है।

सब कुछ नया नजारा है।।

चिड़ियाँ चहक रही पेड़ों पर, चूँ-चूँ, चिट्-चिट्, कूँ-कूँ कर, गुंजे उपवन सारा है।

सनन्-सनन् चलती है वायु, बढ़ा रही है सबकी आयु, ये प्राणों का सहारा है।

सूरज उदित हुआ पूरब में, भर देता है जीवन सब में, ये आंखों का तारा है।

पक्षी चहक उठे कुछ कहकर, जागो तुम भी आलस तजकर ये संदेशा हमारा है।

आया है कुसुमाकर जबसे, फूल खिले तरुओं पर तबसे, नूतन वस्त्रों को धारा है।

भौरि डोल रहे फूलों पर, बच्चे झूल रहे झूलों पर, कोयल ने कुहू उचारा है।

फूलों से जबसे फल आये, बच्चों के हैं मन ललचाये, रंगों की मंचे फुहार है।

झर-झर-झर-झर-निर्झर झरते, जीवन को संजीवन करते, हर लेता श्रम सारा है,

कल-कल करती हैं सरितायें, स्वच्छ नीर सब तक पहुंचाये, ये अमृत की धारा हैं।

धिर आयी हैं घटा गगन में, छाई हैं खुशियां तन-मन में, मोर ने पंख पसारा है।

दादुर डोल रहे खेतों में, झींगुर, झिल्ली बोलें स्वर में, पपीहे ने पीऊ पुकारा है।

रिमझिम-रिमझिम बारिस बरसे, मेरा मन बूंदों को तरसे, झूमे तन-मन सारा है।

चमक उठा है चन्दा नभ में, अमृत भर देता है सब में, ये सब जग का प्यारा है।

नील गगन में जगमग करते, झिलमिल-झिलमिल तारे दिखते, चहूँ और उजियारा है।

संपर्क करें :

महेश दत्त उनियाल, सहायक अध्यापक एल.टी. हिन्दी, स.इ.का. तैला, सिलगढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, [मो. 09412382287]